न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 02 / 2026

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2026 / 36

प्रार्थीगण — अप्रार्थीगण

आसुराम पुत्र प्रागाराम वगैरह — तहसीलदार सांचौर वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 03.02.2026

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 17.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके मौजा हरियाली से नवसृजित ग्राम वाड़ी में प्रार्थीगण के पिता प्रागाराम के खातेदारी खेत पुराने खसरा नंबर 129 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 138 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी भूमि आई हुई थी जो प्रथम मिसल बंदोबस्त से प्रमाणित है। प्रार्थीगण के पुराना खसरा नंबर 129 व 128 के बीच में खसरा नंबर 130 कटाण रास्ता (राजकीय मार्ग) चलता है जो पुराने नक्शे अनुसार चलता है तथा वर्तमान में भी उसी कदर चलता है जिसके उतर में प्रार्थीगण का पुराना खसरा नंबर 129 आया हुआ था तथा दक्षिण में खसरा नंबर 138 आया हुआ था जो प्रथम सेटलमेंट बन्दोबस्त के नक्शे से प्रमाणित है। नक्शा प्रार्थना–पत्र के साथ सलंग्न है। प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में प्रार्थी काश्त कर रहे थे इतने में अप्रार्थी संख्या 4 व इनके परिवार के सदस्य व तीन चार अजनबी लोगों ने एक नाजायज मजमा बनाकर प्राण घातक शस्त्रों से लैस होकर मौके पर आकर प्रार्थीगण को उक्त आराजी छोड़कर चले जाने की एलानियां मौखिक धमकी दी, प्रार्थीगण ने किसी तरह गैर सालयान को समझा बुझाकर वापिस भेजा, जाते वक्त अप्रार्थीगण ने उक्त हमें उक्त आराजी छोड़ने की एलानियां धमकी देकर गये है जबकि प्रार्थीगण का प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जाकाश्त सुदा हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक बैरोक टोक कब्जा काश्त आया होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष है जहां अपूरणीय क्षति का प्रश्न पैदा होता है। प्रार्थीगण का लगातार शांति पूर्वक बैरोकटोक प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में आया होने से यदि प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जो रूपयों पेशों में आंकलन नहीं की जा सकेगी। प्रार्थीगण ने अलग से रेकर्ड दुरूसती का प्रार्थना–पत्र श्रीमान अदालत हाजा में पेश कर रखा है जो विचाराधनी है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण अच्छे धरातल व मजबूत साक्ष्य पर खड़ा होने में प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण की जीत सुनिश्चित है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि इस

सहायक कलक्टर, साचौर
(उपखण्ड अधिकारी साचौर)

अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा का फैसला मूल प्रार्थना–पत्र तक बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें कि मौजा हरियाली व नवसृजित ग्राम वाड़ी में स्थित उपरोक्त खसरा नंबर 193/2116, 193/2117 में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त की आराजी में न तो अप्रार्थीगण स्वयं व न किसी अन्य के द्वारा दखलंदाजी करावें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखनें का आदेश फरमावें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 04 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमनें अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **17.04.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)